Unit-IV / इकाई-IV

15

Α

(Printed Pages 4)

Roll No. _____

- Describe the Basic principles of justice for victims of crime in context of U.N. declaration.
 अपराध पीड़ितों के लिए न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणापत्र के संदर्भ में वर्णन कीजिए।
- 9. Write Essay on a Victimological Research in India.
 - भारत में उत्पीड़न शास्त्रीय अनुसंधान पर एक लेख लिखिए।

AS-2068

M.A. (Semester-IV) Examination, 2015
Criminology & Criminal Justice
Administration
Paper - IV (c)
(Victim in Crime)

Time Allowed: Three Hours] [Maximum Marks: 100

Note: Answer five questions in all. Question No.1 of short answer type is compulsory. Attempt one question from each Unit. कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु-उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न कीजिए।

- 1. Write short notes on the following : 40 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :
 - (i) Victimology in India भारत में उत्पीडन शास्त्र
 - (ii) Compensation क्षतिपूर्ति

- (iii) Victim पीड़ित व्यक्ति
- (iv) Victim Survey पीड़ित सर्वेक्षण
- (v) Communal Voilence साम्प्रदायिक हिंसा
- (vi) Caste Conflict जाति संघर्ष
- (vii) Victim Rights पीड़ित के अधिकार
- (viii) Naxalism नक्सलवाद
- (ix) Sexual Victim यौन पीडित
- (x) Dowry System दहेज प्रथा

Unit-I / इकाई-I

15

What do you understand by Victimology. Describe the role of victim in Crime.
 उत्पीड़न शास्त्र से आप क्या समझते है? अपराध में पीड़ित व्यक्ति की भूमिका का वर्णन कीजिए।

Write Essay on Restitution.
 प्रत्यास्थापन पर लेख लिखिए।

Unit-II / इकाई-II 15

- 4. Give the Meaning of domestic Voilence? and Describe its demerits in Society. घरेलू हिंसा का अर्थ बताइए तथा समाज में इसके दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए।
- 5. What do you understand by sexual crime?

 Describe the status of sexual crime in India.

 यौन अपराध से आप क्या समझते हैं? भारत में यौन अपराध
 की स्थिति का वर्णन कीजिए।

Unit-III / इकाई-III 15

- 6. Write a critical note on a political Violence. राजनैतिक हिंसा पर एक समीक्षात्मक लेख लिखिए।
- 7. Describe the rights of victim in context of Motor Vehicle Act. मोटर वाहन अधिनियम के सन्दर्भ में पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों का वर्णन कीजिए।